

निगम कर्मचारियों को ड्रेस (यूनिफार्म) का वितरण

रतलाम 14 जनवरी । कलेक्टर एवं प्रशासक श्री गोपालचन्द्र डाड व निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार निगम कर्मचारियों को ड्रेस (यूनिफार्म) वितरण की गई।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया कि शासन द्वारा नगर निगम के समस्त कर्मचारियों को निर्धारित ड्रेस कोड में अपने कर्तव्य स्थल पर उपस्थित रहना अनिवार्य किया गया है जिसके तहत निगम के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी व सफाई संरक्षकों को ड्रेस का वितरण निगम द्वारा किया जा रहा है।

निगम सभागृह में झोन क्रमांक 1 व 2 के सफाई संरक्षकों को स्वेटर का वितरण किया गया साथ ही सामान्य प्रशासन विभाग के 20 फायर बिग्रेड विभाग के 21 कर्मचारियों को ड्रेस का वितरण किया गया।

इस दौरान स्वास्थ्य अधिकारी श्री ए.पी. सिंह, सहायक वर्ग 3 श्री राजेन्द्रसिंह गेहलोत, श्री हरेश जोशी, फायर मेन श्री देवेन्द्र पुरोहित सहित निगम कर्मचारी उपस्थित थे।

स्वच्छता देवत्व के मार्ग की ओर ले जाती है

स्वच्छता सर्वेक्षण-2021 के तहत भक्तों ने शहरवासियों को दिया रतलाम को स्वस्थ और सुंदर बनाने का संदेश

रतलाम 14 जनवरी । स्वच्छता भक्ति से भी बढ़कर है। कहावत का अर्थ है कि स्वच्छता भक्ति या देवत्व के मार्ग की ओर ले जाती है। घर और अपने आसपास की पर्याप्त स्वच्छता के माध्यम से हम स्वयं को शारीरिक और मानसिक रूप से स्वच्छ रखते हुए विभिन्न बीमारियों से दूर रह सकते हैं। स्वच्छता हमें वास्तव में अच्छा, सभ्य और स्वस्थ मनुष्य बनाती है। शहर की स्वच्छता हममें शारीरिक, मानसिक और सामाजिक भलाई की भावना को भी उत्पन्न करती है और एक अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण करने में हमारी सहायता करती है

गुरुवार को शहर के प्राचीन त्रिवेणी तट पर भक्तों ने शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने का संकल्प लिया। इस मौके पर सफाई मित्र समूह द्वारा तैयार की गई रांगोलियों को भी सराह गया।

रतलाम शहर के सैकड़ों स्थानों पर खुले में कचरा डालने वालों को रोकने के लिए नगर निगम की ओर से अनोखा प्रयोग किया और सैकड़ों स्थान कचरा मुक्त हुए और इन पर रांगोली के माध्यम से स्वच्छता का संदेश दिया जा रहा है। इसके साथ ही उन सार्वजनिक स्थानों, बागीचों, खेल मैदानों आदि स्थानों पर भी स्वच्छता का संदेश दिया जाकर स्वच्छता की दौड़ में रतलाम को नम्बर-1 बनाने का आह्वान लोगों से किया जा रहा है।

नगर निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देश व स्वास्थ्य अधिकारी एपी सिंह ने शहरवासियों से अपील की है कि वे अपने कूड़ा केवल डोर टू डोर कूड़ा ढोने वाले वाहनों में ही डालें। खुले में कचरा डालने वालों पर नगर निगम द्वारा जुर्माने की कार्रवाई अमल में लाई जा रही है।

नगर निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार अब शहर के सार्वजनिक स्थलों पर लोगों से शहर को साफ और सुंदर बनाए रखने की अपील की जा रही है। इस दौरान गुरुवार को सफाई मित्र समूह की टीम ने आधा दर्जन स्थानों पर स्थित कचरा मुक्त स्थानों के साथ ही सार्वजनिक स्थलों पर पर रांगोली बना कर इन क्षेत्रों के रहवासियों को स्वच्छता की शपथ दिला कर दीप दान किया गया है। इस दौरान कोविड-19 महामारी के बढ़ते प्रकोप के देखते हुए लोगों से आह्वान किया गया कि जब तक कोरोना का कारगर उपचार उपलब्ध नहीं हो पाता है. ऐसे में हमें मास्क का उपयोग, दो गज की दूरी और हाथों को सेनेटाईज कर अपने जीवन को बचाना चाहिए।

उद्यानों से निकलने वाले कचरे से बनाई जा रही है जैविक खाद खाद निर्माण हेतु 12 उद्यानों में कम्पोस्ट पिट निर्माण का कार्य पूर्ण 8 उद्यानों में कम्पोस्ट पिट निर्माण का कार्य प्रगति पर

रतलाम 14 जनवरी | नगर निगम स्वामित्व के उद्यानों से निकलने वाले कचरे का उचित रीति से प्रसंस्करण कराने हेतु कचरे से खाद बनाने के लिये कम्पोस्ट पिट बनाने का कार्य निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार उद्यान विभाग के अमले द्वारा किया जा रहा है ताकि कचरा उत्सर्जन स्थल पर ही निपटान के साथ ही उद्यानों के लिये खाद उपलब्ध होकर उद्यान हरे-भरे रहे।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 की पूर्व तैयारियों के तहत नगर निगम के ऐसे उद्यान जिनमें कम्पोस्ट पिट नहीं बने है उनमें पिट निर्माण का कार्य किया जा रहा है। कालिका माता उद्यान, रोटरी गार्डन, अमृत सागर उद्यान, काटजू नगर उद्यान, सिविल लाईन, गोपाल गोशाला, शास्त्री नगर, नगर निगम कार्यालय परिसर, गणेश चौक अलकापुरी, टीचस कालोनी, कस्तुरबा नगर गली नम्बर 6 व कस्तुरबा नगर शिव हनुमान मंदिर उद्यान में कम्पोस्ट पिट का निर्माण कराया जा चुका है तथा गुलाब चक्कर, शास्त्रीनगर बाल उद्यान, गांधी उद्यान, जैन कालोनी, मानस भवन, शांति निकेतन, कल्याण नगर व कोमल नगर,रत्नपुरी उद्यान में कम्पोस्ट पिट बनाने का कार्य तेजी से किया जा रहा है।

गंदगी व अतिक्रमण करने पर 32 व्यक्तियों पर जुर्माना सीसीटीवी से गंदगी करने वालो पर रखी जा रही है निगरानी

रतलाम 14 जनवरी | नगर में ऐसे दुकानदार एवं नागरिक जो कि अपनी दुकानों एवं घरों से निकलने वाले कचरे को कचरा संग्रहण वाहन में नहीं डालते हुए यहां-वहां डालकर नगर को गंदा करते है ऐसे दुकानदार एवं नागरिकों को लगाम लगाने हेतु निगम द्वारा जुर्माने की कार्यवाही की जा रही है साथ ही सीसीटीवी फुटेज के आधार पर गंदगी फैलाने वाले नागरिक एवं दुकानदारों पर घर व दुकानों पर जाकर गठित दल द्वारा जुर्माने की कार्यवाही की जा रही है।

नगर के ऐसे दुकानदार एवं नागरिक जो कि खुले में कचरा डालकर नगर को गंदा कर रहे है ऐसे व्यक्तियों पर लगाम लगाने हेतु नगर के विभिन्न स्थानों पर स्थापित सीसीटीवी

कैमरों से सतत निगरानी रखी जा रही है इस हेतु पुलिस कन्ट्रोल रूम पर 3 पालियों में कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार विराली ड्रेसेस माणक चौक पर 1000, मंगल सुराना, राज कलेक्शन, संजय सेवन्था, मुकेश माणक चौक पर 500-500, अल अनवर टेलर चांदनी चौक, अशोक कटारिया त्रिपोलिया गेट पर 500-500, कुतबी टेलर त्रिपोलिया गेट पर 300, श्रीराम नमकीन चांदनी चौक पर 250, उस्मान चांदनी चौक, हरीशंकर, राकेश, मुनव्वर, बबलू त्रिपोलिया गेट पर 100-100, आबिद, मुकेश, चेतन माली, नाथुलाल, विकास पोरवाल, कान्हा, दुर्गेश, भरावा नमकीन, जितेन्द्र, सिफलामुद्धीन, मनोहर, हुसैनी, नाहर, शहजादी, बाबुभाई चांदनी चौक, रेहाना, जमीला, सोनू बाथम त्रिपोलिया गेट पर 50-50 रूपये का स्पॉट फाईन किया गया।

जुर्माने की कार्यवाही प्रभारी स्वास्थ्य अधिकारी श्री ए.पी. सिंह, झोन प्रभारी श्री किरण चौहान व श्री पर्वत हाड़े, उप स्वच्छता निरीक्षक श्री विनय चौहान आदि के द्वारा की गई। गंदगी व मलबा फैलाने, अतिक्रमण करने पर संबंधितों के विरुद्ध जुर्माना किये जाने का अभियान निरंतर जारी रहेगा।

निगम द्वारा युद्ध स्तर पर किये जा रहे हैं लीकेज दुरस्त 84 दिनों में 125 वॉल्व व 578 पाईप लीकेज दुरस्ती का कार्य पूर्ण

रतलाम 14 जनवरी । शहर की जलप्रदाय व्यवस्था को निरंतर बनाये रखने तथा जलप्रदाय व्यवस्था को ओर अधिक सुदृढ़ बनाये जाने हेतु निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार पाईप लाईन व वॉल्व लीकेज दुरस्त करने का कार्य जलप्रदाय विभाग द्वारा 23 अक्टूबर से प्रारंभ किया गया जिसके तहत 14 जनवरी तक 125 वॉल्व व 578 पाईप लाईन लीकेजों को दुरस्त किया जा चुका है।

“रतलाम जलशक्ति अभियान” व्हाट्स एप ग्रुप में लीकेज की समस्या को अपलोड किया जा रहा है तथा अपलोड की गई लीकेज संबंधी समस्या का तत्काल निराकरण करवाया जा रहा है जिसके तहत 14 जनवरी गुरुवार को दीनदयाल नगर, रेल नगर, मुखर्जी नगर व हिम्मत नगर में पाईप लाईन लीकेज को दुरस्त करवाया गया।

उक्त कार्यवाही कार्यपालन यंत्री श्री सुरेशचन्द्र व्यास, जलप्रदाय विभाग प्रभारी श्री सत्यप्रकाश आचार्य, उपयंत्री श्री सुहास पंडित, श्री भैयालाल चौधरी के अलावा श्री नीरज यादव, श्री मोहन आदि के निर्देशन में की गई।

नगर के विभिन्न स्थानों पर अलाव जलाये

रतलाम 14 जनवरी । सर्द रातों में नागरिकों की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग द्वारा बाल चिकित्सालय, जिला चिकित्सालय, रैन बसेरा सिविक सेन्टर, पांजरा पोल, महू रोड बस स्टैण्ड, रेलवे स्टेशन, कालिका माता, नगर निगम फायर ब्रिगेड सहित नगर के विभिन्न सार्वजनिक स्थल एवं चौराहों पर गत रात्रि अलावा जलाये गये।

दिव्यांगजन युडीआईडी प्रमाण पत्र हेतु दस्तावेज जमा करावें

रतलाम 14 जनवरी । समस्त श्रेणी के दिव्यांगजन यु.डी.आई.डी. प्रमाण-पत्र बनवाने हेतु नगर निगम विकास शाखा स्थित पेंशन शाखा में आवश्यक दस्तावेज पासपोर्ट साईज फोटो, राशन कार्ड, मतदाता परिचय पत्र, आधार कार्ड, समग्र आई.डी., निःशक्त प्रमाण-पत्र, मोबाईल नम्बर तत्काल कार्यालयीन समय में जमा करावें ।

गीले एवं सूखे कचरे के पृथक्कीकरण की दी समझाईश स्वच्छता के लिये नागरिक दे रहे हैं फीडबैक

रतलाम 14 जनवरी । निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया द्वारा दिये गये निर्देशानुसार नगर के समस्त घरों, दुकानों आदि से 100 प्रतिशत गीला एवं सूखा कचरा पृथक-पृथक संग्रहित किये जाने हेतु नगर निगम की सहयोगी संस्था टीम आस्था के सदस्यों द्वारा नगर के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर नागरिकों को स्वच्छता बनाये रखने गीला व सूखा कचरा पृथक-पृथक रखने की समझाईश दी जा रही है।

नगर निगम की सहयोगी संस्था टीम डिवाइन के सदस्यों द्वारा नगर के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर नागरिकों को गीले एवं सूखे कचरे के पृथक्कीकरण हेतु घरों एवं दुकानों में पृथक-पृथक कचरा पात्र रखकर पृथक-पृथक कचरा एकत्रिकरण व गीले एवं सूखे कचरे को निगम के कचरा संग्रहण वाहन के पृथक-पृथक भागों में डालने की समझाईश दी साथ ही नागरिकों से स्वच्छता हेतु स्वच्छता एप पर सिटीजन फीडबैक लिया।

सफाई संबंधी शिकायत दर्ज कराने हेतु नागरिक स्वच्छता एप का उपयोग करें

रतलाम 14 जनवरी । रतलाम नगर को स्वच्छता के क्षेत्र में नम्बर 1 बनाने हेतु कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री गोपालचन्द्र डाड, निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार स्वच्छ भारत मिशन के तहत सफाई संबंधी शिकायत दर्ज कराने के लिये भारत सरकार द्वारा तैयार किये गये स्वच्छता एप की जानकारी निगमकर्मियों व नगर निगम की सहयोगी संस्था आस्था के सदस्यों ने शहर के विभिन्न क्षेत्रों में नागरिकों को दी।

स्वच्छ भारत मिशन के तहत किये जा रहे स्वच्छता सर्वेक्षण-2021 में रतलाम नगर को स्वच्छता के क्षेत्र में नम्बर 1 बनाने के लिये रतलाम नगर के नागरिक सफाई संबंधी शिकायत स्वच्छता एप दर्ज कराने के लिये अपने एन्ड्रॉयड मोबाईल पर गूगल प्ले स्टोर में जाकर स्वच्छता एप टाईप करें, उसके पश्चात एप को इन्सटाल करें। इन्सटाल करने के बाद एप्लीकेशन ओपन करके अपना मोबाईल नम्बर रजिस्टर्ड करें। इसके बाद अपना जीपीएस ऑन करें इसके बाद आपकी सफाई संबंधी शिकायत का फोटो लेकर अपलोड करें। अपलोड की गई शिकायत नगर निगम के पास आयेगी ओर उसका तत्काल निराकरण किया जायेगा।

कचरा पृथक्कीकरण हेतु नागरिक एवं दुकानदारों को रखना होंगे 4 डस्टबीन

खुले में कचरा डालने व गंदगी करने वालो पर सीसीटीवी से रखी जा रही है निगरानी
अतिक्रमण व गंदगी करने पर होगा जुर्माना

रतलाम 14 जनवरी । नगरीय क्षेत्र रतलाम के दुकानदार एवं नागरिक जो कि अपनी दुकानों एवं घरों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के तहत कचरा पृथक्कीकरण हेतु 4 डस्टबीन नहीं रख रहे है व दुकानों के सामने गंदगी व अतिक्रमण कर रहे उन पर निगम के स्वास्थ्य अमले द्वारा जुर्माने की कार्यवाही प्रारंभ कर दी गई है।

नगरीय क्षेत्र रतलाम के दुकानदार अपनी दुकानों में गीले कचरे अर्थात् कीचन में बनी हुई खाद्य सामग्री, फल-सब्जी के छिलके, घांस व पेड़ की पत्तियां, राख, चाय पत्ती, बचा हुआ खाना आदि के लिये हरा डस्टबीन, सूखा कचरा अर्थात् पुस्ता, अखबार, लोहा, कपड़ा, शाल, कांच, पैकिंग मटेरियल, टुटे खिलौने, प्लास्टिक आदि के लिये नीला डस्टबीन, घरेलू हानिकार कचरे के लिये पेन्ट के डिब्बे, पेस्टीसाइड के डिब्बे, सीएफएल, ट्यूबलाईट, थर्मामीटर, बैटरी आदि के लिये काला डस्टबीन तथा मेडिकल वेस्ट अर्थात् सेनेटरी नेपकीन, डायपर, सुई, सिंरिज, मास्क, ग्लब्स, पीपीई कीट आदि के लिये पीला डस्टबीन रखकर अपने घरों एवं दुकानों तथा प्रतिष्ठानों में ही कचरे का पृथक्कीकरण कर निगम के कचरा संग्रहण वाहन के

पृथक-पृथक भागों में डालकर कचरा पृथक्कीकरण कार्य में अपना सहयोग प्रदान करें। जो नागरिक या दुकानदार उक्तानुसार कचरे का पृथक्कीकरण नहीं करेगा व खुले में कचरा डालने वालो उन पर जुर्माने की कार्यवाही की जावेगी।

नागरिक एवं दुकानदार खुले में कचरा डालेंगे तो उन पर भी नगर निगम अमले द्वारा जुर्माने की कार्यवाही की जायेगी। नगर के विभिन्न स्थानों पर लगे सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से खुले में कचरा डालने व गंदगी करने वालों पर कन्ट्रोल रूम पर निगरानी रखी जा रही है। नगर निगम की टीम संबंधित के घर एवं दुकानों पर जाकर 5000-5000 हजार का जुर्माना करेगी।

समाचार/ज.सं.वि./हेमन्त/14.01.2021/न.पा.निगम, रतलाम.